वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 10.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला,हिंदुस्तान,दैनिक जागरण,न्यायाधीश,जनसंदेश टाइम्स,परफेक्ट मिशन,," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 10.12.2025

डेढ़ बीघा जमीन पर प्लॉटिंग तो पार्क जरूरी

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में मंगलवार को प्लॉटिंगकर्ताओं के साथ बैठक की गई। उपाध्यक्ष ने बताया कि किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रस्तावित लेआउट 09 मीटर सड़क पर ही नियोजित हो। संबंधित भूमि का भू-उपयोग आवासीय ही हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 3000 वर्ग मीटर (1.5 बीघा) से अधिक क्षेत्रफल वाली किसी भी प्लॉटिंग में पार्क का प्रावधान अनिवार्य है। ब्यूरो

दैनिक जागरण –दि0 10.12.2025

जमीन की अवैध प्लाटिंग करने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

वीडीए उपाध्यक्ष ने **बिल्डरों संग की बैठक,** प्रवर्तन टीम करेगी चिह्नित

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग रोकने और अवैध कालोनियों को वैध करने को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने मंगलवार को कालोनाइजर और बिल्डरों संग सभागार में बैठक की।

वीडीए के शर्तों को पूरा करने वाले अवैध कालोनियों को वैध करने में हम पूरा सहयोग करेंगे। जरूरत पड़ी तो शासन में भी वार्ता करूंगा। अवैध कालोनियों के आबाद होने से लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने और कालोनी बनाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रवर्तन टीम को चिह्नित करने के

- शर्तों को पूरा करने पर अवैध कालोनी को किया जाएगा वैध
- जोनल अधिकारी ने अवैध कालोनियों की सौंपी सूची

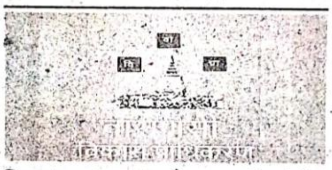

लिए लगाया गया है। प्रस्तावित ले-आउट के लिए नौ मीटर सड़क चौड़ी होना अनिवार्य है।

तीन हजार वर्ग मीटर या डेढ़ बीघा जमीन में भी ले-आउट पास हो सकता है। इसमें पार्क भी जरूरी है। इस दौरान जोनल अधिकारी की ओर से जोनवार अवैध कालोनियों की सूची दी गई जिसमें जोन एक में 26, जोन दो में 17, जोन तीन में 12, जोन चार में 28 और जोन पांच में 17 अवैध प्लाटिंग हैं। कालोनाइजरों ने जमीन के लैंडयूज को लेकर समस्या उठाई जिस पर वीडीए उपाध्यक्ष ने बदलाव कराने को लेकर भरोसा दिलाया।

बैठक में वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा, अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, जोनल अधिकारी संजीव कुमार, शिवाजी मिश्रा, सौरभ देव प्रजापति, प्रकाश कुमार मौजूद थे।

हिन्दुस्तान–दि0 10.12.2025

वीडीए परिक्षेत्र में सौ अवैध प्लॉटिंग, होगा नया सर्वे

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए मुख्यालय में मंगलवार को कॉलोनाइजरों के साथ बैठक हुई। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि प्लॉटिंग से पहले मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी जोनल अधिकारियों को अवैध प्लॉटिंग की जांच कर दो दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। बैठक में जोनल अधिकारियों ने 100 अवैध प्लॉटिंग की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपाध्यक्ष ने सभी जोनों में नए सिरे से सर्वे का निर्देश दिया।

जोनवार अवैध प्लॉटिंग की सूची रखी। इसमें जोन -1 के सिकरौल, शिवपुर में 26, जोन-2 के सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा में 17, जोन-3 के दशाश्वमेध, चौक, कोतवाली, चेतगंज में 12, जोन-4 के नगवा और भेलूपुर में 28 तथा जोन-5 के रामनगर, मुगलसराय में 17 अवैध प्लॉटिंग के मामले सामने रखे गए।

पूर्ण बोरा ने कॉलोनाइजरों से कहा कि नौ मीटर सड़क पर ही प्लॉटिंग कराई जाए और इसका भू-उपयोग आवासीय ही होना चाहिए। कुछ कॉलोनाइजरों ने कहा कि उनकी जमीनों का भू-उपयोग कृषि या व्यवसायिक दर्ज है। इस संबंध में उपाध्यक्ष ने उनको भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करने को कहा। बैठक में सचिव डॉ.वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी समेत अन्य मौजूद रहे।

जनसंदेश टाइम्स –दि0 10.12.2025

लेआउट स्वीकृति, लैंडयूज और रोडमानकों का करें पालन

प्लॉटिंग के पूर्व

वीडीए उपाध्यक्ष ने प्लाटिंगकर्त्ताओं संग बैठक कर की वार्ता, दिया निर्देश

वाराणसी। वीडीए मनमाने ढंग से प्लाटिंग कराए जाने पर सख्त है। प्लाटिंग के पूर्व लेआउट स्वीकृति, लैंडयूज और रोड मानकों का पालन करना जहां अनिवार्य कर दिया है,वही लापरवाही पर सख्त कार्रवाई किए जाने का निर्णय कर चुका हैं। इसको लेकर वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा संग मंगलवार को प्लाटिंगकर्त्ताओ की हुई बैठक में लेआउट स्वीकृति, लैंडयूज और रोड मानकों पर जहां वार्ता हुई,वही सभी प्लॉटिंगकताओं से विस्तृत संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं गई और उचित सुझाव साधा किया गया। बैठक में वीडीए उपाध्यक्ष ने सभी प्लॉटिंगकताओं से किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग के पूर्व वीडीए का प्रावधान पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रस्तावित लेआउट 09 मीटर सड़क पर ही नियोजित होने और संबंधित भूमि का भू-उपयोग आवासीय ही होने पर स्पष्ट किया कि 3000 वर्ग मीटर (1.5 बीघा) से अधिक क्षेत्रफल वाली किसी भी प्लॉटिंग में पार्क का प्रावधान अनिवार्य है। इस दौरान पांचो जोनों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों की अवैध प्लॉटिंग की सूची प्रस्तुत की गई। जिसमें जोन एक से 26, जोन दो से 17, जोन तीन से 12,जोन चार से 28 तथा जोन-5 से 17 अवैध प्लॉटिंग के प्रकरण शामिल थे। वीडीए उपाध्यक्ष ने इन प्रकरणों पर उपस्थित प्लाटिंगकर्त्ताओ से जहां वार्ता की,वही प्लाटिंगकर्ताओ को आश्वासन दिया कि वे अपनी अवैध प्लॉटिंग को वैध कराने हेतु लेआउट स्वीकृति हेतु आवेदन प्राधिकरण में प्रस्तुत करेंगे। इसको लेकर कुछ प्लॉटिंगकताओं द्वारा यह बताया गया कि उनकी भूमि का लैंडयूज कृषि या व्यवसायिक दर्ज है। इस पर वीडीए उपाध्यक्ष ने उन्हें लैंडयूज परिवर्तन हेतु आवेदन करने का सुझाव दिया, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके। वीडीए उपाध्यक्ष ने सभी जोनल अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर अवैध प्लॉटिंगों की जांच कर दो दिन के भीतर अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस दौरान वीडीए उपाध्यक्ष ने सभी प्लॉटिंगकताओं को बिना लेआउट स्वीकृत कराए प्लॉटिंग नही कराने और पूर्व में की जा चुकी प्लाटिंग की शीघ्र लेआउट स्वीकृत कराकर ही भूखण्डों का विक्रय करने को कहा। उन्होंने इसमें मनमानी किए जाने पर जहां नाराजगी जाहिर की,वही लापरवाही किए जाने पर सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी। इस अवसर पर सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी तथा पांचो जोनों के जोनल अधिकारी और अवर अभियंता उपस्थित रहें।

जनसंदेश टाइम्स –दि0 10.12.2025

प्राथमिकता से लंम्बित प्रकरणों का करें समाधान

समीक्षा

मानचित्र निस्तारण में लेटलतीफी बर्दाश्त नही

वीडीए सचिव ने की समीक्षा,जाना प्रगति

वाराणसी। लंम्बित प्रकरणो का प्राथमिकता पर समाधान करें। मानचित्र निस्तारण में लेटलतीफी जहां बर्दाश्त नही होगी,वही लापवाही पर सख्त कार्रवाई तय हैं। इसको लेकर वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्र ने विभागीय अधिकारियों संग बैठक की और समीक्षा कर मानचित्र निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली। सचिव की अध्यक्षता में वीडीए सभागार में हुई बैठक में पांचो जोन के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता आदि लोग उपस्थित रहे। बैठक में वीडीए सचिव ने पिछले माह (नवम्बर) में आयोजित कैम्प के दौरान मानचित्र निस्तारण की अपेक्षित प्रगति नही होने पर नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों से आगामी कैम्प में अधिक से अधिक मानचित्रों का निस्तारण कराया जाने का सख्त निर्देश दिया। सचिव ने मानचित्र स्वीकृति के उपरांत आगणित शमन शुल्क को शीघ्र अति शीघ्र प्राधिकरण कोष में जमा कराया जाने और सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाने का निर्देश दिया। बैठक में नगर नियोजक प्रभात कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 10.12.2025

प्लाटिंग कर्ताओं के साथ उपाध्यक्ष वाविप्रा की महत्वपूर्ण बैठक में लेआउट स्वीकृति लैंडयूज एवं रोड मानकों पर वार्ता

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के 'उपाध्यक्ष श्री पूर्ण बोरा' की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में 9 दिसम्बर को प्लॉटिंगकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में 'सचिव डा0 वेद प्रकाश मिश्रा,अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी तथा पाँचों जोनों के जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता' उपस्थित रहे।बैठक में उपाध्यक्षद्वारा सभी प्लॉटिंगकर्ताओं को अवगत कराया गया कि किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रस्तावित लेआउट '09 मीटर सड़क' पर ही नियोजित हो तथा संबंधित भूमि का 'भू.उपयोग आवासीय' ही हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि '3000 वर्ग मीटर ;1.5 बीघा से अधिक क्षेत्रफल वाली किसी भी प्लॉटिंग में पार्क' का प्रावधान अनिवार्य है।बैठक के दौरान पाँचों जोनों द्वारा अपने.अपने क्षेत्रों की अवैध प्लॉटिंग की सूची प्रस्तुत की गईए जिसमें जोन.1 से 26 जोन.2 से 17 जोन.3 से 12 जोन.4 से 28 तथा जोन.5 से 17 अवैध प्लॉटिंग के प्रकरण शामिल थे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इन प्रकरणों पर उपस्थित प्लॉटिंगकर्ताओं से वार्ता की गई। प्लॉटिंगकर्ताओं ने आश्वासन दिया कि वे अपनी अवैध प्लॉटिंग को वैध कराने हेतु लेआउट स्वीकृति हेतु आवेदन प्राधिकरण में प्रस्तुत करेंगे।कुछ प्लॉटिंगकर्ताओं द्वारा यह बताया गया कि उनकी भूमि का लैंडयूज कृषि या व्यवसायिक दर्ज हैए जिसके संबंध में उपाध्यक्ष महोदय ने उन्हें लैंडयूज परिवर्तन हेतु आवेदन करने का सुझाव दियाए ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके।उपाध्यक्ष ने सभी प्लॉटिंगकर्ताओं से विस्तृत संवाद करते हुए उनकी समस्याएँ सुनीं तथा उचित सुझाव प्रदान किए। साथ ही सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने.अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर अवैध प्लॉटिंगों की जाँच करें तथा दो दिवस के भीतर अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।प्राधिकरण द्वारा सभी प्लॉटिंगकर्ताओं को यह भी निर्देशित किया गया कि बिना लेआउट स्वीकृत कराए प्लॉटिंग न करेंए तथा जिनके द्वारा पूर्व में प्लॉटिंग की जा चुकी हैए वे शीघ्र लेआउट स्वीकृत कराकर ही भूखण्डों का विक्रय करें। ऐसा न करने पर प्राधिकरण द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन –दि0 10.12.2025

प्लॉटिंगकर्ताओं के साथ उपाध्यक्ष ने की महत्वपूर्ण बैठक

लेआउट स्वीकृति, लैंडयूज एवं रोड मानकों पर हुई वार्ता

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा की अध्यक्षता में मंगलवार को प्राधिकरण सभागार में प्लॉटिंगकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी तथा पाँचों जोनों के जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता उपस्थित रहे।बैठक में उपाध्यक्ष ने सभी प्लॉटिंगकर्ताओं को अवगत कराया कि किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रस्तावित लेआउट 09 मीटर सड़क पर ही नियोजित हो तथा संबंधित भूमि का भू-उपयोग आवासीय ही हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 3000 वर्ग मीटर (1.5 बीघा) से अधिक क्षेत्रफल वाली किसी भी प्लॉटिंग में पार्क का प्रावधान अनिवार्य है।बैठक के दौरान पाँचों जोनों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों की अवैध प्लॉटिंग की सूची प्रस्तुत की गई, जिसमें जोन-1 से 26, जोन-2 से 17, जोन-3 से 12, जोन-4 से 28 तथा जोन-5 से 17 अवैध प्लॉटिंग के प्रकरण शामिल थे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इन प्रकरणों पर उपस्थित प्लॉटिंगकर्ताओं से वार्ता की गई। प्लॉटिंगकर्ताओं ने आश्वासन दिया कि वे अपनी अवैध प्लॉटिंग को वैध कराने हेतु लेआउट स्वीकृति हेतु आवेदन प्राधिकरण में प्रस्तुत करेंगे।

कुछ प्लॉटिंगकर्ताओं द्वारा यह बताया गया कि उनकी भूमि का लैंडयूज कृषि या व्यवसायिक दर्ज है, जिसके संबंध में उपाध्यक्ष ने उन्हें लैंडयूज परिवर्तन हेतु आवेदन करने का सुझाव दिया, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके।उपाध्यक्ष महोदय ने सभी प्लॉटिंगकर्ताओं से विस्तृत संवाद करते हुए उनकी समस्याएँ सुनीं तथा उचित सुझाव प्रदान किए। साथ ही सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर अवैध प्लॉटिंगों की जाँच करें तथा दो दिवस के भीतर अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्राधिकरण द्वारा सभी प्लॉटिंगकर्ताओं को यह भी निर्देशित किया गया कि बिना लेआउट स्वीकृत कराए प्लॉटिंग न करें, तथा जिनके द्वारा पूर्व में प्लॉटिंग की जा चुकी है, वे शीघ्र लेआउट स्वीकृत कराकर ही भूखण्डों का विक्रय करें। ऐसा न करने पर प्राधिकरण द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी।